प्रेस विज्ञप्ति
17.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को लक्षित करने वाले फर्जी कॉल सेंटर घोटाले के संबंध में चल रही जांच के तहत 15 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में स्थित चार परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी अभियान जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और उसके बाद किए गए क्षेत्रीय सत्यापन के आधार पर चलाए गए, जिससे संकेत मिला कि कुछ व्यक्ति अन्य लोगों के साथ मिलकर पटियाला और पुणे में कॉल सेंटरों का संचालन एवं नियंत्रण कर रहे थे।

तलाशी अभियान के दौरान तीन चालू कॉल सेंटरों का पता चला, जिनमें से दो पटियाला और एक पुणे में स्थित थे। तलाशी के समय इन कॉल सेंटरों में लगभग 220 व्यक्ति कार्यरत पाए गए। उनकी पहचान, उन्हें सौंपे गए कार्य और रिपोर्टिंग संरचना का विवरण दर्ज कर सत्यापित किया जा रहा है। इन परिसरों में अनेक वर्कस्टेशन, क्यूबिकल, कंप्यूटर, हेडसेट, मोबाइल फोन और नेटवर्किंग उपकरण उपलब्ध थे। यह सामने आया है कि इन कॉल सेंटरों द्वारा अमेरिकी नागरिकों को फोन किए जा रहे थे और कथित रूप से झूठे बहानों के आधार पर उन्हें भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।

इसके अलावा, तलाशी अभियान के समय पटियाला में स्थित कॉल सेंटरों को अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी और जबरन वसूली में संलिप्त पाया गया। सेंटरों का संचालन करने वाले व्यक्तियों के पास से बरामद मोबाइल फोन और एक लैपटॉप में सिंडिकेट की कार्यप्रणाली तथा पीड़ितों को ठगकर अर्जित धनराशि के वितरण से संबंधित डेटा पाया गया। इसी प्रकार, पुणे स्थित परिसरों से संचालित किए जा रहे फर्जी कॉल सेंटर में भी इसी कार्यप्रणाली के माध्यम से धोखाधड़ी किए जाने का पता चला।

चंडीगढ़ में तलाशी लिए गए आवासीय परिसरों का उपयोग मास्टरमाइंड द्वारा पटियाला में संचालित फर्जी कॉल सेंटरों के समन्वय एवं नियंत्रण के लिए किया जा रहा था। इन परिसरों में कॉल सेंटरों के संचालन से संबंधित डेटा युक्त कई डिजिटल उपकरण पाए गए। एक ऐसा व्यक्ति भी इन परिसरों से काम करता हुआ पाया गया, जो कथित रूप से अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में अपराध से अर्जित आय के प्रसंस्करण एवं रूपांतरण में शामिल था। उसकी भूमिका तथा संबंधित वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।

तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के परिणामस्वरूप 66 मोबाइल फोन, 13 लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य संचार उपकरणों सहित बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, नकदी और अभिलेख पाए गए और जब्त किए गए। जांच में अन्य बातों के साथ-साथ कॉलिंग अभियानों, स्क्रिप्ट, डायलर एवं वीओआईपी-आधारित प्रणालियों, पीड़ितों से संबंधित डेटा, भुगतान माध्यमों, संचालन का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों तथा कथित गतिविधियों से उत्पन्न धनराशि के प्रवाह की जांच की जा रही है। बरामद सामग्री और डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है, ताकि संपूर्ण कार्यप्रणाली का पता लगाया जा सके, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान की जा सके, तलाशी लिए गए परिसरों के बीच संबंध स्थापित किए जा सकें तथा अपराध से अर्जित आय का पता लगाया जा सके।

आगे की जांच जारी है।

तलाशी अभियान के दौरान लिए गए छायाचित्र



छायाचित्र 1: पटियाला में तलाशी लिए गए परिसरों में से एक में कॉल सेंटर का कार्यक्षेत्र



छायाचित्र 2: तलाशी के दौरान पटियाला कॉल सेंटर में वर्कस्टेशन



छायाचित्र 3: पटियाला परिसर में क्यूबिकल और कंप्यूटर वर्कस्टेशन



छायाचित्र 4: पुणे में तलाशी लिए गए कॉल सेंटर का संचालन क्षेत्र